

संख्या: 4-2(34)/2016-एसओएम-(वैल)-वीटी - 11033-11035
निदेशालय, अनु०जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
हिमाचल प्रदेश | शिमला-09.

सेवा में

निदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक 4-5-2016 शिमला, 171009

विषय:-

“विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना-सहयोग” के अन्तर्गत दक्षता वृद्धि घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने वारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस पत्र के साथ “विकलांगजनों हेतु एकीकृत योजना-सहयोग” के अन्तर्गत दक्षता वृद्धि घटक के अन्तर्गत विकलांगजन हेतु प्रशिक्षण योजना का विज्ञापन मसौदा भेजा जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों जिनका परिचालन हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ हैं, में प्रकाशित करवाने की कृपा करें। विज्ञापन के प्रकाशन पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

संलग्न:-उपरोक्त

भवदीय,

निदेशक,

अनु०जा०, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
एवं संयुक्त आयुक्त (विकलांगता) हि० प्र०

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि— 11033-11035

दिनांक, शिमला-09

प्राप्तिलिपि:- 1. आयुक्त एवं निदेशक, श्रम एवं रोजगार हि०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. आई०टी० प्रोग्रामर, निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हि०प्र० शिमला को इस आशय के साथ भेजकर लिखा जाता है कि संलग्न विज्ञापन व आवेदन पत्र को विभागीय वैबसाईड में तुरन्त अपलॉड करें।

निदेशक,

अनु०जा०, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
एवं संयुक्त आयुक्त (विकलांगता) हि० प्र०

विज्ञापन

सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश।

सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित “विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना—“सहयोग” के दक्षता वृद्धि घटक के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अस्थि दोष, श्रवण दोष एवं दृष्टिवाधित (Orthopaedically impaired,Hearing Impaired and Visually Impaired) से सम्बन्धित उम्मीदवार, जिन की विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो, आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो तथा जिनके माता—पिता/संरक्षक की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 1,00,000/- रुपये से कम हो, से निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षण की अवधि	विकलांगता की श्रेणी जो प्रशिक्षण हेतु पात्र है	जिलों का नाम जहां सीटें उपलब्ध हैं
1	2	3.	4	5.	6.
1.	झावस्मेन (सिविल)	Passed 10 th Class Examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी तथा सोलन
2.	झावस्मेन (मकैनिकल)	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	कुल्लू
3.	इलैक्ट्रीशियन	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
4.	इलैक्ट्रोनिक मकैनिक	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सोलन
5.	फिटर	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सोलन, ऊना
6.	इनफोरमेशन कौमनीकेशन टैक्नोलौजी सिस्टम मैन्टेनेन्स	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/ लो विजन	मण्डी
7	मकैनिस्ट	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन
8	मकैनिक (मोटर व्हीकल)	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
9	मकैनिक(रिफरी जेशन एण्ड एयर-कन्डीशन)	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/ लो विजन	कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर
10	मकैनिक (टरैक्टर)	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	कांगड़ा
11	मकैनिक (डीजल इंजन)	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	कांगड़ा, ऊना
12	पेन्टर जनरल	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	कुल्लू

13	पलम्बर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू मण्डी , शिमला, सोलन,
14	पम्प औपरेटर कम मकैनिक	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	हमीरपुर, कांगडा, शिमला
15	शीट मैटल वर्कर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	कांगडा
16	सरवेयर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	कांगडा, मण्डी
17	टरनर	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	कांगडा, मण्डी, सिरमौर, ऊना
18	वैल्डर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू मण्डी , शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
19	वायरमैन	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	चम्बा
20	बेसिक कौस्मैटोलौजी	Pass in matric with Hindi or equivalent (Pass in Hindi is compulsory)	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	हमीरपुर, मण्डी, सोलन
21	कम्प्यूटर एडिड एम्ब्रौएडरी एण्ड डिजाइनिंग	Passed 10 th Class Examination under 10+2 or equilent	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	मण्डी
22	कम्प्यूटर औपरेटर कम प्राग्रामिंग ऐसीसिटैन्ट	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू मण्डी, शिमला, सोलन, ऊना
23	डैस्कटोप पब्लीशिंग औपरेटर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	सोलन
24	डैस मकिंग	Pass in matric with Hindi or equivalent (Pass in Hindi is compulsory)	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	बिलासपुर, कांगडा, मण्डी
25	फैशन डिजाइन एण्ड टैक्नोलौजी	Passed 10 th Class Examination under 10+2 or equilent	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	हमीरपुर, कांगडा
26	फूड एण्ड बीवरेजिज सर्विसिज ऐसीसिटैन्ट	-do-	2 समैस्टर	लो विजन	कुल्लू, मण्डी
27	फूड प्रोडक्शन (जनरल)	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	कांगडा, कुल्लू, मण्डी
28	फन्ट औफिस ऐसीसिटैन्ट	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/लो विजन	मण्डी
29	सिविंग टैक्नोलौजी	Pass in matric with Hindi or equivalent (Pass in Hindi is compulsory)		अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू मण्डी सिरमौर, सोलन, ऊना
30	सरफेस और नामैन्ट टैक्निक्स (एम्ब्रौएडरी)	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, मण्डी शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना

अन्य शर्तें:-

1. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 1000/- रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।
3. प्रशिक्षण अविध के दौरान कोर्स शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा परन्तु रहन-सहन व खान-पान की व्यवस्था पर व्यय प्रशिक्षणार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

4. इच्छुक उम्मीदवार अपनी इच्छा अनुसार तीन व्यवसायों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि चयन मैरिट तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
5. इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को विकलांगता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र/आयु प्रमाण—पत्र / सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से जारी बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र/ सम्बन्धित तहसीलदार से जारी नवीनतम पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण—पत्र/हिमाचली प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतियों सहित दिनांक 20—05—2016 तक भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी या विभागीय वेबसाइट www.himachal.nic.in/soma पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक
अनु0जा0, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
एवं संयुक्त आयुक्त (विकलांगता) हि0 प्र0